न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 31 / 2022 (Bank Case)

GCMS No. 2022/79

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय:– सेकण्ड फ्लोर, प्रोसेज हाउस, कमला मीलस्, सेनापती बापत मार्ग लोवर परेल, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय –घोडे वाला बाबा चौराहा, शोपिंग सेन्टर, कोटा (राज.) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्याम सुन्दर दाधीच। **– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

1. ताहिर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल रजाक **– (ऋणी / बंधककर्ता)**
   पता:– प्लॉट नं. सी 68, ब्लॉक–सी, जवाहर नगर, कोटा–324005 (राज.)
   पता:– खसरा न. 49 के प्लॉट नं.– सी 68 व 69, न्यू जवाहर नगर, कोटा, ग्राम– बालाकुण्ड, तहसील– लाडपुरा, कोटा–324005 (राज.)
2. मै.एम.एम. इन्टरप्राईजेज **(सहऋणी / बंधककर्ता)**
   पता:– गॉधी नगर, कच्ची बस्ती, डकनिया स्टेशन के पास, विज्ञान नगर, कोटा – 324005 (राज.)
   अन्य पता:– इमली वाले बाबा के सामने, झाडू बस्ती, डकनिया रोड, विज्ञान नगर, कोटा– 324005
3. मोहसीन शेख पुत्री श्री ताहिर हुसैन
   पता:– प्लॉट नं.–सी 68 व 69, न्यू जवाहर नगर, कोटा–324005 (राज.)
4. बिसमिल्ला पत्नी श्री अब्दुल रजाक
   पता:– प्लॉट नं.–सी 68 व 69, न्यू जवाहर नगर, कोटा–324005 (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री नरपतसिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 23-05-2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है एच.डी.बी.फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय:– सेकण्ड फ्लोर, प्रोसेज हाउस, कमला मीलस्, सेनापती बापत मार्ग लोवर परेल, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय– घोडे वाला बाबा चौराहा, शोपिंग सेन्टर, कोटा (राज.) में स्थित है, से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने दिनांक 31.12.2016 को कुल रूपये 74,43,302/– (अक्षरे: रूपये चोहत्तर लाख तियालीस हजार तीन सौ दो मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति खसरा नं. 49 के प्लॉट नं.–सी 68 व 69, न्यू जवाहर नगर, कोटा, ग्राम– बालाकुण्ड, तहसील – लाडपुरा, कोटा–324005 (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 138.88 वर्ग यार्ड है, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा दिनांक 24.07.2013 को ताहिर हुसैन पुत्र अब्दुल रजाक के नाम जारीशुदा है। जिसकी चर्तु:सीमाए पूरब में– प्लॉट नं. 69, पश्चिम में– प्लॉट नं. 67, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– प्लॉट नं. 48 है**, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 03.11.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 80,73,309/— (अक्षरे रूपये अस्सी लाख, तिहत्तर हजार, तीन सौ नो रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 18.06.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.07.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.07.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत को दिनांक 18.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.07.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति खसरा नं. 49 के प्लॉट नं.—सी 68 व 69, न्यू जवाहर नगर, कोटा, ग्राम— बालाकुण्ड, तहसील — लाडपुरा, कोटा—324005 (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग यार्ड है, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा दिनांक 24.07.2013 को ताहिर हुसैन पुत्र अब्दुल रजाक के नाम जारीशुदा है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में— प्लॉट नं. 69, पश्चिम में— प्लॉट नं. 67, उत्तर में— रोड, दक्षिण में— प्लॉट नं. 48 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)